




# प्रतिभूति बाजार

## संबंधी पुस्तिका

# निवेशकों के लिए



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
 Securities and Exchange Board of India



## दावात्याग:

इस पुस्तिका को सही और लुटिहीन बनाने का हरसंभव प्रयास किया गया है। फिर भी, इस पुस्तिका के इस्तेमाल से यदि किसी को भी, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आदि हो, तो उसके लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होगा।

## पुस्तिका इनके द्वारा मिलकर तैयार किया गया है:

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
- बीएसई लि.
- नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)
- सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)
- मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एमएसईआई)

## प्रकाशक:

सेबी

दिनांक: 23 नवंबर, 2020

## पाठक कृपया ध्यान दें:

इस पुस्तिका का उद्देश्य आपको संक्षेप में प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए, आप सेबी, बीएसई, एनएसई, एमएसईआई, एनएसडीएल और सीडीएसएल के वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई सामग्री को देख सकते हैं।

इस पुस्तिका में दी गई जानकारी केवल प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही दी गई है और इसका इस्तेमाल आम जनता को शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि लाभ कमाने के उद्देश्य से।

इस पुस्तिका के किसी भी भाग को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) की अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से पुनः प्रस्तुत करना या कॉपी करना अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी डिस्क, टेप, छिद्रित (पफरिटिड) मीडिया या अन्य सूचना भंडारण उपकरण आदि पर पुनः प्रस्तुत करना मना है।

इस पुस्तिका के इस्तेमाल से यदि किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आदि हो, तो उसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार (डिपॉज़िटरीज़) जिम्मेदार नहीं होंगे।

इस पुस्तिका को सही और लुटिहीन बनाने का हरसंभव प्रयास किया गया है। बाजार से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए और बाजार में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए, पाठकों से अनुरोध है कि वे समय-समय पर लाए जाने वाले कानूनी प्रावधानों और उनके तहत जारी किए गए दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स), निदेश तथा अन्य संबंधित दस्तावेज भी देखते रहें। आप अपने सुझाव या अपनी प्रतिक्रिया इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं:

[visitsebi@sebi.gov.in](mailto:visitsebi@sebi.gov.in)

## विषय-सूची

अनुक्रमणिका		पृष्ठ संख्या
<b>प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) का परिचय</b>		
1.	प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) का परिचय	02
2.	प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) क्या है?	03
3.	प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) और द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट)	05
4.	प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित बाजार की बुनियादी संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं और बाजार मध्यवर्ती (इंटरमीडियरीज़) कौन-कौन से हैं?	07
<b>निवेश से संबंधित बुनियादी जानकारी</b>		
5.	प्रतिभूति बाजार में निवेश करने से संबंधित मुख्य जोखिम	09
6.	जोखिम कैसे कम करें?	10
<b>खाता खोलने की प्रक्रिया</b>		
7.	प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करने से पहले आप क्या करें	10
8.	खाता खोलने की प्रक्रिया: अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी प्रक्रिया	11
9.	मूल सेवायुक्त डीमैट खाता (बीएसडीए)	12
10.	मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी)	13
11.	नामांकन	14
<b>मैं प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश कैसे करूँ?</b>		
12.	प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) के जरिए निवेश	14
13.	प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) में निवेश करने की प्रक्रिया	15
14.	निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट / अस्बा)	16
15.	द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) के जरिए निवेश	16
16.	व्यापार के दिन (ट्रेडिंग डेज़) और व्यापार एवं निपटान चक्र (ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट साइकल)	17
17.	संविदा नोट (कॉण्ट्रैक्ट नोट)	18
18.	निवेशकों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अलर्ट	19
19.	रनिंग अकाउंट के लिए प्राधिकृत करना	20
20.	सौदे (ट्रेड) का सत्यापन	20
21.	'मार्जिन मनी' क्या है?	21
22.	स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) और निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स) से मिलने वाला खाता विवरण	21
23.	समेकित खाता विवरण (कन्सॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट / सीएसएस)	22
24.	व्युत्पन्नी बाजार (डेरिवेटिव्स मार्केट)	22
<b>म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स</b>		
25.	म्यूचुअल फंड्स	23
26.	पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड्स)	24
27.	एक्सचेंज व्यापारित निधियाँ	24
28.	एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स / ईटीएफ	25
<b>प्रतिभूति बाजार में शिकायत निवारण</b>		
29.	सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स)	26
30.	स्टॉक एक्सचेंज का निवेशक सेवा कक्ष	26
31.	माध्यस्थ व्यवस्था (आर्बिट्रेशन मैकेनिज़म)	27

	दावा न किए गए शेयरों / भुगतान न की गई लाभांश की रकम के बारे में जानकारी - निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)	
32.	संलग्नक – I : [प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करने / ट्रेडिंग करने हेतु क्या करें और क्या न करें]	28
33.	संलग्नक – II : निवेशकों के अधिकार एवं दायित्व	30
34.	संलग्नक – III : अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों से सावधान रहें	31
35.	संलग्नक – IV : अस्बा में यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की सुविधा	34
36.	संलग्नक – V : शब्दावली	35



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
Securities and Exchange Board of India



द्वारा जारी

नमस्कार ...

क्या आप एक ऐसे निवेशक हैं जो प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किसी कंपनी के शेयरों में या पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) में निवेश करना चाहते हैं?



यदि आपका जवाब हाँ है, तो आपको प्रतिभूति बाजार से संबंधित बुनियादी बातों को जानने में दिलचस्पी जरूर होगी ।

इस पुस्तिका में किसी खास जगह पर पैसा लगाने का सुझाव आदि नहीं दिया गया है । इसमें प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित बुनियादी जानकारी प्रदान की गई है । इस पुस्तिका में दूसरे विनियामकों (रग्युलेटर्स) जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), आदि के दायरे में आने वाली एंटीटियों में निवेश के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गई है ।

## प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) का विनियामक ढाँचा



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विभिन्न विनियमों / परिपत्रों / दिशानिर्देशों / निदेशों के अनुसार, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) जैसे किसी कंपनी के शेयरों, पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) की यूनितों, व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स), आदि की खरीद, उनकी बिक्री और उनमें व्यापार का विनियमन तथा स्टॉक एक्सचेंजों का विनियमन करना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दायरे में आता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को की गई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के मुख्य कार्य हैं: प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास को बढ़ावा देना, और उसे विनियमित (रेग्यूलेट) करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

**फिलहाल, प्रतिभूति बाजार का विनियमन निम्नलिखित चार अधिनियमों के मद्देनज़र किया जाता है:**

क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) - यह अधिनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को (i) प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करने, (ii) प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने, और (iii) प्रतिभूति बाजार का विनियमन करने के लिए कानूनी तौर पर शक्ति प्रदान करता है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनीज़ एक्ट, 2013) - इस अधिनियम में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का निर्गम लाने (इश्युएंस), उनका आबंटन (अलॉटमेंट) करने और उनका अंतरण (ट्रांसफर) करने के साथ-साथ प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) से जुड़े मामलों से संबंधित प्रावधान हैं;

ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] - इस अधिनियम में स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दिए जाने तथा प्रतिभूतियों में लेनदेनों के विनियमन (रेग्यूलेशन) के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

घ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996) - इस अधिनियम में गैर-कागज़ीकृत (डीमैट) शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक रख-रखाव और उनके स्वामित्व के अंतरण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।



## 2

### प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) क्या है?

क. **इक्विटी शेयर** या जिन्हें आमतौर पर शेयर भी कहा जाता है, कंपनी के स्वामित्व का हिस्सा होता है। किसी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को शेयरधारक कहा जाता है, और ऐसा निवेशक कंपनी के मुनाफों में से सभी प्रकार के कंपनी फायदे (जैसे लाभांश) पाने का हकदार होता है। निवेशक को इस बात का भी अधिकार होता है कि वह कंपनी की साधारण बैठक में कंपनी की निर्णय ली जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में भी अपना मत (वोट) डाल सके।



ख. **ऋण प्रतिभूतियों** (डेट सिक्यूरिटीज़) का आशय कंपनी / संस्था द्वारा किसी निवेशक से उधार के रूप में लिए गए उन पैसों से है, जिन्हें निवेशक को वापस करना जरूरी होता है। ऋण प्रतिभूतियों को डिबेंचर या बॉण्ड भी कहा जाता है। ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशक का यह अधिकार होता है कि उसे ब्याज दिया जाए और उसका मूलधन (अर्थात् निवेश किया गया पैसा) भी वापस कर दिया जाए। ऋण प्रतिभूतियाँ निश्चित अवधि के लिए निर्गमित (इश्यू) की जाती हैं, और अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा उनका मोचन (उन्हें रिडीम) किया जा सकता है। ऋण प्रतिभूतियाँ जमानती भी हो सकती हैं या गैर-जमानती भी।



ग. **व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्स)** ऐसे वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट्स) होते हैं जिनका मूल्य दूसरी आस्तियों (असेट्स) जैसे शेयरों, ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्यूरिटीज़), आदि के मूल्य पर निर्भर करता है। एक्सचेंज में मुख्य रूप से जिन व्युत्पन्नियों में ट्रेडिंग की जाती है वे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स हैं।



घ. **पारस्परिक निधियाँ** (म्यूचुअल फंड्स) वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट्स) का एक ऐसा प्रकार है जो कई निवेशकों से एकत्र किए गए पैसों से बनता है। पैसा एकत्र हो जाने बाद, ये निधियाँ / पारस्परिक निधियाँ प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) जैसे कि शेयरों, बॉण्डों, मुद्रा बाजार लिखतों (मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स) और दूसरी आस्तियों (असेट्स) में पैसा लगाती हैं।






प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) ऐसी जगह है जहाँ कंपनियाँ प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) जैसे इक्विटी शेयरों, ऋण प्रतिभूतियों, व्युत्पन्नियों, पारस्परिक निधियों, आदि का निर्गम (इश्यू) लाकर निवेशकों (लोगों) से पैसा जुटा सकती हैं और जहाँ निवेशक भिन्न-भिन्न प्रतिभूतियों (शेयरों, बाण्डों, आदि) की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। एक बार जनता को शेयर (या प्रतिभूतियाँ) निर्गमित (इश्यू) कर दिए जाने के बाद, कंपनी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह शेयरों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध (लिस्ट) करें। प्रतिभूति बाजार पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) का ही एक हिस्सा है।



प्रतिभूति बाजार का मुख्य कार्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसके जरिए निवेशकों द्वारा बचत किए गए पैसों को उन तक पहुँचाया जा सके जिन्हें उन पैसों की आवश्यकता है। ऐसा तभी हो पाता है जब निवेशक उन कंपनियों / एंटीटियों में पैसा लगाते हैं जिन्हें पैसों की आवश्यकता है। निवेशकों को ब्याज, लाभांश (डिविडेंड), पूँजी में वृद्धि, बोनस, आदि जैसे फायदे प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसे निवेश देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं।




प्रतिभूति बाजार के दो खंड हैं जो एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और जिन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों खंड इस प्रकार हैं:





## प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) और द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट)



**प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट):** इस बाजार को नए निर्गम (इश्यू) लाने वाला बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाजार के माध्यम से कंपनी / संस्थाएँ नई प्रतिभूतियों (शेयरों, डिबेंचरों, बॉण्डों, आदि) का निर्गम (इश्यू) लाकर जनता से पैसे जुटाती हैं।

प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गमकर्ता (इश्युअर) मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

- कारपोरेट एंटीटियाँ (कंपनियाँ) जो मुख्य रूप से इक्विटी लिखतें (शेयर) और ऋण लिखतें (बॉण्ड, डिबेंचर, आदि) निर्गमित (इश्यू) करती हैं।
- सरकार (केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार) जो ऋण प्रतिभूतियाँ [सरकारी प्रतिभूतियाँ (डेटेड सिक्यूरिटीज़) और खजाना बिल (ट्रेज़री बिल)] निर्गमित (इश्यू) करती हैं।

प्राथमिक बाजार में निम्न प्रकार के निर्गम (इश्यू) लाए जाते हैं:

### 1 सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू):

प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सभी लोगों के लिए निर्गमित (इश्यू) की जाती हैं और इनमें कोई भी पैसा लगा (सब्सक्राइब कर) सकता है। इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है:

- आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर / आईपीओ)



कंपनी द्वारा शेयरों का पहला सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफर) लाया जाता है। आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:

- शेरों का नया निर्गम (इश्यू) जिसके जरिए कंपनी द्वारा लोगों के लिए नए शेयर निर्गमित (इश्यू) किए जाते हैं। इस प्रकार के निर्गम (इश्यू) के जरिए, कंपनी लोगों से पैसा लेकर उन पैसों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए करती है जिनके लिए निर्गम (इश्यू) लाया गया है।

- विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) जिसके जरिए मौजूदा शेयरधारक जैसे संप्रवर्तक (प्रोमोटर्स) या वित्तीय संस्थाएँ या कोई दूसरा व्यक्ति अपनी शेयरधारिता का प्रस्ताव (ऑफर) आम जनता के लिए लाता है। इस प्रकार के निर्गम (इश्यू) में, निवेशकों का पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि शेयर बेचने वालों के पास जाता है।

## ii. बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ):

ऐसा प्रस्ताव ऐसे निर्गमकर्ता (इश्यूअर) / कंपनी द्वारा लाया जाता है जो पहले आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) ला चुकी हो और जो जनता के लिए नई प्रतिभूतियाँ निर्गमित (इश्यू) कर रही हो।

## 2 अधिमानी निर्गम (प्रेफरेंशियल इश्यू):

इस प्रकार के निर्गम (इश्यू) में, प्रतिभूतियाँ ऐसे निवेशकों को निर्गमित (इश्यू) की जाती हैं जिनकी पहचान पहले से ही कर ली गई होती है जैसे संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) को, रणनीतिक निवेशकों (स्ट्रेटीजिक इनवेस्टर्स) को, कर्मचारियों, आदि को।



## 3 साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू):

जब कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) के अनुपात में नए निर्गमित शेयरों में पैसा लगाने का अधिकार देती है, तो इसे साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) कहा जाता है।



## 4 बोनस निर्गम (बोनस इश्यू):

जब कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को उनकी मौजूदा शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) के अनुपात में बिना कोई शुल्क लिए ही और शेयर जारी किए जाते हैं, तो इसे बोनस निर्गम कहा जाता है।



लोगों से पैसा जुटाने के लिए, कंपनियों को सेबी के पास प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करना होता है, जिसे प्रारूप प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस (ड्राफ्ट रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस) या प्रारूप प्रॉस्पेक्टस (ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस) कहा जाता है। इस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी से संबंधित पिछली जानकारी, संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के ब्यौरे, कारबार का मॉडल, कंपनी की वित्तीय स्थिति से संबंधित पिछली जानकारी, उस कारबार में निहित जोखिम, प्रयोजन जिसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है, निर्गम (इश्यू) की शर्तें तथा ऐसी अन्य जानकारी होती है जिसे पढ़कर निवेशक उस कंपनी में निवेश करने के संबंध में सोच-समझकर निर्णय ले सके। प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) में निर्गमित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को निर्गम (इश्यू) बंद होने की तारीख से छह (06) कार्य-दिवसों के भीतर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध (लिस्ट) कर दिया जाता है। इसके बाद, शेयरों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करा दिया जाता है, जहाँ आगे चलकर उन शेयरों में ट्रेडिंग की जाती है।

कंपनी द्वारा आर्बटि (अलॉट) किए गए शेयर निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के यहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा खोले गए निवेशक के डीमैट खाते में जमा कर दिए जाते हैं। निवेशक सेबी से रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर बेच सकता है और उसके बदले पैसे ले सकता है।



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  
Securities and Exchange Board of India

**द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट):** प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का एक बार निर्गम (इश्यू) हो जाने के बाद, उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कर दिया जाता है और निवेशक उन स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से इन सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों के मुख्य रूप से दो खंड होते हैं - नकदी बाजार (कैश मार्केट) और व्युत्पन्नी बाजार (डेरिवेटिव्स मार्केट)।



## 4

### प्रतिभूति बाजार (सिक्वूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित बाजार की बुनियादी संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं और बाजार मध्यवर्ती (इंटरमीडियरीज़) कौन-कौन से हैं?


**बाजार की बुनियादी संस्थाएँ:** प्रतिभूति बाजार में लेनदेन [अर्थात् प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू), उनकी खरीद और बिक्री] करने संबंधी बुनियादी सुविधाएँ स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) और समाशोधन निगमों (क्लीयरिंग कारपोरेशन्स) द्वारा प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को बाजार की बुनियादी संस्थाएँ (एमआईआई) कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत बाजार की बुनियादी संस्थाओं की सूची इस लिंक के अंतर्गत दी गई है: <https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html>।

**स्टॉक एक्सचेंज:** राष्ट्रव्यापी कंप्यूटरीकृत स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा मुहैया करवाते हैं, ताकि उनसे रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलालों के माध्यम से बाजार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उचित तरीके से प्रतिभूतियों (सिक्वूरिटीज़) की खरीद और बिक्री की जा सके। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सूची इस लिंक के अंतर्गत दी गई है:

<https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html>.

राष्ट्रव्यापी मुख्य स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसई) हैं।

**समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन):** समाशोधन निगमों का मुख्य कार्य स्टॉक एक्सचेंजों में हुए सौदों (ट्रेड्स) के निपटान की गारंटी देना है। दूसरे शब्दों में, समाशोधन निगम इस बात की गारंटी देते हैं कि प्रतिभूतियों (सिक्वूरिटीज़) की खरीद करने वाले प्रत्येक क्रेता को उसके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियाँ मिलेंगी और प्रतिभूति की बिक्री करने वाले प्रत्येक विक्रेता को उसके द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों के एवज़ में पैसे मिलेंगे।



**निक्षेपागार (डिपॉजिटरी):** निक्षेपागार ऐसी संस्थाएँ हैं जो निवेशकों की प्रतिभूतियाँ डीमैट / इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखती हैं और जो अपने निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स) के माध्यम से निवेशकों को डीमैट से जुड़ी सेवाएँ प्रदान करती हैं। हमारे देश में दो निक्षेपागार हैं - नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल सिक्यूरिटीज़ सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)। प्रत्येक निक्षेपागार के अधीन, रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार सहभागी (जैसे बैंकों की शाखाएँ) होते हैं, जो निवेशकों को विभिन्न तरह की सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे डीमैट खाता खोलना और उनका रखरखाव करना, शेयरों को डीमैट रूप में बदलना, आदि।



**बाजार मध्यवर्ती (मार्केट इंटरमीडियरीज़)** अहम सहभागी होते हैं जो प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) और द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) की सुचारू कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाजार मध्यवर्ती प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के ऑर्डर को पूरा करने की प्रक्रिया में, प्रतिभूतियों में सौदा करने की प्रक्रिया में और प्रतिभूतियों में सौदे डालने (ट्रेडिंग करने) से संबद्ध जानकारी प्रदान करने में अपना सहयोग देते हैं। कुछ अहम मध्यवर्ती इस प्रकार हैं - स्टॉक दलाल, निक्षेपागार सहभागी, मर्चेन्ट बैंककार, शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट), आदि। सभी मध्यवर्ती सेबी से रजिस्ट्रीकृत होते हैं और उनसे यह अपेक्षित होता है कि वे निवेशकों का संरक्षण करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करें। सेबी से रजिस्ट्रीकृत मान्यताप्राप्त बाजार मध्यवर्तियों की सूची इस लिंक के अंतर्गत दी गई है: <https://www.sebi.gov.in>.



## निवेश से संबंधित बुनियादी जानकारी

इससे पहले कि आप प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करना शुरू करें, आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं और आप कितने पैसे निवेश करना चाहते हैं, आपके निवेश के उद्देश्य क्या हैं और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। निवेश संबंधी प्रत्येक निर्णय जरूरतों के अनुसार होने चाहिए और जो ज्यादा जरूरी हो उसके लिए पहले निवेश करना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, आप सुरक्षित उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में निवेश करने की सोच सकते हैं जिससे निश्चित आमदनी हो या यदि आप थोड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, तो आप उन उत्पादों में भी निवेश कर सकते हैं जहाँ आपको अधिक मुनाफा (रिटर्न) मिले। प्रत्येक निवेश में उसके वास्तविक मूल्य के कम होने जाने का जोखिम होता है, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित जोखिम (बिक्री कम या अधिक हो सकती है या कार के किसी खास ब्राण्ड की बिक्री किसी दूसरे ब्राण्ड से अधिक हो सकती है, आदि) का असर ऑटोमोबाइल उद्योग के शेयरों में किए गए निवेश पर पड़ेगा।



एकबार यह तय कर लेने पर कि आपके द्वारा किए जाने वाले निवेश का लक्ष्य क्या है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, आप यह भी तय कर लें कि आप कितने रुपये निवेश करना चाहते हैं और कितने समय तक के लिए निवेश करना चाहते हैं। प्रत्येक निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता अलग-अलग होती है और यह क्षमता निवेशक के लक्ष्यों और उसकी उम्र पर भी निर्भर करती है।



निवेशकों को उनके अधिकारों, उनके दायित्वों, निवेश करते समय उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सबकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और इनसे संबंधित दस्तावेज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इससे संबंधित जानकारी इस पुस्तिका में संलग्नक-I के रूप में दी गई है। इसके अलावा, निवेशकों के अधिकार और उनके दायित्व से संबंधित जानकारी इस पुस्तिका में संलग्नक-II के रूप में दी गई है।

किसी कंपनी के शेयरों में निवेश करने से पहले निवेशकों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। उन्हें कंपनी से संबंधित सभी जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए, जैसे कंपनी, उसके संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स) से संबंधित प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर), परियोजना (प्रोजेक्ट) संबंधी ब्यौरे, वित्तीय ब्यौरे, आदि। ये ब्यौरे स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर देखे जा सकते हैं।

प्रतिभूति बाजार में निवेश करने के लिए, निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत किसी भी निवेश सलाहकार (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र) से संपर्क कर सकते हैं। सेबी से रजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों की सूची इस लिंक पर देखी जा सकती है: <https://www.sebi.gov.in>।

हालांकि, निवेशकों को निवेश संबंधी ऐसी सलाह से सावधान ही रहना चाहिए जो अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों द्वारा बिना मांगे ही दी गई हो। विस्तृत जानकारी के लिए, आप इस पुस्तिका का संलग्नक-III देख सकते हैं।



## 5

### प्रतिभूति बाजार में निवेश करने से संबंधित मुख्य जोखिम



**बाजार संबंधी जोखिम या प्रणालीगत जोखिम:** इस जोखिम का अर्थ यह है कि निवेशक को वित्तीय बाजारों के समय प्रदर्शन और देश की सामान्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से नुकसान हो सकता है।



**अप्रणालीगत जोखिम:** अप्रणालीगत जोखिम का अर्थ किसी कंपनी या उद्योग विशेष से संबद्ध अनिश्चितता की स्थिति से है।



**मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम:** मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम को क्रय शक्ति संबंधी जोखिम (पचेजिंग पावर रिस्क) भी कहा जाता है। इस जोखिम का अर्थ है कि किसी निवेश से मिले पैसों का मूल्य भविष्य में कम हो सकता है, क्योंकि मुद्रास्फीति (महंगाई) के कारण उसकी क्रय शक्ति में कमी आ सकती है।



**अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) संबंधी जोखिम:** अर्थसुलभता संबंधी जोखिम तब उत्पन्न होता है जब किसी निवेश को तुरंत खरीदा या बेचा नहीं जा सकता हो।



**कारबार संबंधी जोखिम:** इसका अर्थ उस जोखिम से है जब किसी प्रतिकूल प्रचालन स्थिति, प्रतिकूल बाजार या प्रतिकूल वित्तीय स्थिति होने के कारण कंपनी के कारबार पर असर पड़ सकता हो या कंपनी अपना कारबार बंद कर सकती हो।



**कीमत में उतार-चढ़ाव संबंधी जोखिम:** समय के साथ-साथ कंपनी के शेयरों की कीमतें घट-बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम होता है।



**मुद्रा (करंसी) संबंधी जोखिम:** इसका अर्थ विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (फॉरेन एक्सचेंज रेट) में उतार-चढ़ाव के कारण हो सकने वाले नुकसान से है, जो निवेशक को या तो विदेशी मुद्रा में निवेश करने से हो सकता है या फिर किसी ऐसे उत्पाद (प्रोडक्ट) में निवेश करने से हो सकता है जिसकी ट्रेडिंग विदेशी मुद्रा में होती हो।

## 6

### जोखिम कैसे कम करें?

निवेशक विभिन्न तरीकों से जोखिम कम कर सकते हैं। आस्ति (असेट) का आबंटन एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए निवेशक अलग-अलग कंपनियों और आस्तियों में अपने पैसे लगाकर जोखिम कम कर सकते हैं।

### खाता खोलने की प्रक्रिया

## 7

### प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करने से पहले आप क्या करें

इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए, निवेशक को तीन खाते खोलने होते हैं, जिनके नाम हैं:

बैंक खाता

व्यापार खाता

डीमैट खाता

#### क) बैंक खाता

**ख) ट्रेडिंग अकाउण्ट** या ब्रोकिंग अकाउण्ट जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के ऐसे किसी स्टॉक दलाल के यहाँ खोला गया हो, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत हो। इस खाते का इस्तेमाल स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की खरीद और बिक्री करने के लिए किया जाता है। व्यापार खाता (ट्रेडिंग अकाउण्ट) खोलने के लिए, आपको इस खाते को खुलवाने संबंधी फॉर्म भरना होगा और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके उन्हें जमा करना होगा।

खाता खोलवाने संबंधी फॉर्म को भरते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरतें:

- ▶ अलग-अलग एक्सचेंजों में ट्रेडिंग करने के संबंध में अपनी वरीयता दर्शाते हुए आप हस्ताक्षर करें ।
- ▶ आपको अपने खातों पर लगने वाले सभी प्रभारों / फीस / दलाली (ब्रोकेज) की पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपको इनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए ।
- ▶ आप उन बाजार खंडों [नकदी (कैश), फ्यूचर्स एवं ऑप्शन (एफ एण्ड ओ), मुद्रा व्युत्पन्नी (करंसी डेरिवेटिव्स) और किन्हीं दूसरे खंडों] की पहचान कर लें, जिनमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं । व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में ट्रेडिंग करने के लिए व्युत्पन्नी उत्पादों (डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स) की समझ होनी जरूरी है ।
- ▶ यदि आप अतिरिक्त सुविधाओं जैसे रनिंग अकाउण्ट की सुविधा, मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी) की सुविधा, आदि का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप स्टॉक दलाल को इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा न हो ।
- ▶ आपको खाता खोलने संबंधी फॉर्म में अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए । दलाल (ब्रोकर) और स्टॉक एक्सचेंज इन संपर्क ब्यौरों का इस्तेमाल आपको ट्रेडिंग से संबंधित नवीनतम जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए करते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है ।
- ▶ आपको खाता खोलने संबंधी फॉर्म की प्रति की मांग करनी चाहिए और अपने रिकॉर्ड के लिए उसकी एक प्रति रखनी चाहिए ।

ग) डीमैट खाता में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज) को गैर - कागज़ी (डीमैट) / इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा होती है । डीमैट खाता किसी भी निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के यहाँ खोला जा सकता है ।

## 8

### खाता खोलने की प्रक्रिया: अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी प्रक्रिया

डीमैट / ट्रेडिंग / बैंक खाता खोलते समय, आपको अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं । आइये यह जानते हैं कि केवाईसी का क्या अर्थ है और यह क्यों जरूरी है?

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत 'केवाईसी' अनिवार्य है । डीमैट / ट्रेडिंग / बैंक खाता खोलते समय, ग्राहकों (क्लाइंट) को अपनी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में सरकारी तौर पर मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं । ये दस्तावेज केवाईसी संबंधी अपेक्षाओं का हिस्सा हैं । निवेशक अपनी पहचान और पते को संबंधित निर्धारित दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस, आदि के माध्यम से प्रमाणित कर सकता है । एक बार केवाईसी फॉर्म प्रस्तुत कर देने पर, एक विशिष्ट केवाईसी पहचान संख्या (केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर / केआईएन) जारी की जाती है और जिसे एसएमएस / ईमेल के माध्यम से ग्राहक को बता दिया जाता है । केवाईसी एक बार की जाने वाली प्रक्रिया है और यह सभी मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के यहाँ मान्य है । प्रतिभूति बाजार में किसी अन्य मध्यवर्ती के पास खाता खोलते समय आपको दुबारा इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता ।





## ई-केवाईसी

निवेशक यूआईडीएआई – आधार / डिजिलॉकर का इस्तेमाल करके ई-केवाईसी की सुविधा का लाभ उठाते हुए केवाईसी संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं ।

स्टॉक दलाल के वेबसाइट पर खाता खोलने संबंधी विवरण / खाता खोलने संबंधी फॉर्म को ऑन-लाइन ही भरें ।

आवश्यक दस्तावेजों / पते के सबूत / पहचान के सबूत की स्कैन की हुई प्रति प्रस्तुत करें ।

वीडियो कॉल पर व्यक्तिगत सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें ।

दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करें ।

आपका खाता खुल गया है ।



### सलाह:

- सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षर करने से पहले आपने सभी दस्तावेजों को पढ़ लिया है और उन्हें समझ लिया है ।
- किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें जो भरा नहीं गया हो ।
- खाता खोलने संबंधी किट के संलग्नक में दिए गए "क्या करें और क्या न करें" का हमेशा ध्यान रखें ।
- अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता बैंक, निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) और स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) के पास रजिस्टर करवा लें, ताकि आपके खाते में हुए लेनदेनों (ट्रांजैक्शन्स) के संबंध में आपको एसएमएस और ई-मेल प्राप्त हों ।

## 9

### मूल सेवायुक्त डीमैट खाता (बीएसडीए)

मूल सेवायुक्त डीमैट खाता (बीएसडीए) डीमैट खाते की ऐसी सुविधा है जो उन लोगों को दी जाती है जिनके पास केवल एक डीमैट खाता है (सभी निक्षेपागारों को मिलाकर) और इस खाते में ऋण प्रतिभूतियों से इतर प्रतिभूतियों में तथा ऋण प्रतिभूतियों (डेट सिक्क्यूरिटीज़) में किसी भी समय 2 लाख रुपये से अधिक की धारिता (होल्डिंग) नहीं होती ।

मूल सेवायुक्त डीमैट खाते (बीएसडीए) के लिए वार्षिक रखरखाव प्रभार (एएमसी) निम्नानुसार है:

प्रतिभूति का प्रकार	स्लैब धारिता का मूल्य	प्रभार
ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों के लिए	₹. 50,000 /- तक	कोई प्रभार नहीं
	₹. 50,001 से ₹. 2,00,000 /- तक	₹. 100 /- तक
ऋण प्रतिभूतियों के लिए	₹. 1,00,000 /- तक	कोई प्रभार नहीं
	₹. 1,00,001 से ₹. 2,00,000 /- तक	₹. 100 /- तक

कृपया इससे संबंधित नए नियमों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या संबंधित निक्षेपागार का वेबसाइट देखें ।

उपरोक्त तीन प्रकार के खातों (अर्थात् बैंक खाता, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता) की विशेषता वाले खाते को प्रायः “3-इन-1 अकाउण्ट” कहा जाता है । निवेशक चाहे तो अलग-अलग निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) / दलाल (ब्रोकर) / संस्था के यहाँ उपरोक्त तीनों खाते अलग-अलग खुलवा सकता है या वह किसी ऐसे निक्षेपागार सहभागी / दलाल / संस्था के यहाँ भी अपना खाता खुलवा सकता है जो एक ही प्रक्रिया के तहत तीनों ही प्रकार के खातों को खोले जाने की सुविधा प्रदान करता हो ।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलालों (स्टॉक ब्रोकर्स) और निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स) की सूची भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के आधिकारिक वेबसाइट ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) या संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों अथवा निक्षेपागारों के वेबसाइट पर देखी जा सकती है ।

## 10

### मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी)

मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) एक बहुत अहम दस्तावेज है, जिसके जरिए आप अपने खातों और पैसों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं । प्रतिभूति बाजार में, ग्राहक (क्लाइंट) स्टॉक दलाल और / या निक्षेपागार सहभागी के नाम पर मुख्तारनामा कर सकता है, जिसके जरिए ग्राहक अपने डीमैट एवं बैंक खाते का संचालन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत कर सकता है, ताकि शेयरों की सुपुर्दगी (डिलीवरी) और पैसों का पे-इन और पे-आउट सुविधाजनक तरीके से हो सके । भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राहक द्वारा स्टॉक दलाल / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के नाम पर किसी खास प्रयोजन के लिए भी मुख्तारनामा किया जा सकता है ।



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्तारनामा करना अनिवार्य नहीं है । मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और इसके लिए आप बाध्य नहीं है - यदि आपको लगता है कि मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर करने से आपको फायदा है, तो आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं । आप किसी भी समय मुख्तारनामे को निरस्त कर सकते हैं ।

यदि आपके स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) ने आपके खाते में / आपके खाते से किसी ऐसे कारण से शेयर अंतरित कर दिए हैं, जिसके लिए आपने उन्हें मुख्तारनामे में प्राधिकृत नहीं किया हो, तो आपको तुरंत अपने स्टॉक दलाल से इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए । यदि आपको उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलता है या आप उनके द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको इस मामले की जानकारी निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) / एक्सचेंज को तुरंत देनी चाहिए ।

यदि आप स्टॉक दलाल / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के पक्ष में मुख्तारनामा करना चाहते हैं, तो आप कृपया भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) / स्टॉक एक्सचेंजों / निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को देख लें, जो संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए हैं ।



दिशानिर्देश

<https://www.sebi.gov.in/>

### नामांकन

नामांकन ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति निवेशक किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए नामित कर सकता है कि वह दूसरा व्यक्ति निवेशक की मृत्यु हो जाने पर उसके डीमैट खातों में पड़ी प्रतिभूतियों या यूनितों की बिक्री से मिले पैसों [पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की यूनितों के संबंध में] पर दावा कर सकता है।



### में प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश कैसे करें?

### प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) के जरिए निवेश

जब एक निर्गमकर्ता कंपनी सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफर) के जरिए आम लोगों के लिए शेयरों का निर्गम (इश्यू) लाती है, तो आप जरूरी आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करके शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का निर्गम लाने के लिए, निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी को कुछ नियमों, विनियमों, आदि का पालन करना पड़ता है। शेयरों का आबंटन निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अनुसार किया जाता है। आबंटित किए गए शेयर आवेदक के डीमैट खातों में जमा कर दिए जाते हैं जिसका रखरखाव निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा किया जाता है। प्रतिभूतियों का आबंटन गैर-कागज़ी (डीमैट) रूप में किया जाता है और निवेशक बाद में उन्हें कागज़ी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) बंद होने पर, निर्गम बंद होने की तारीख से छह (06) दिनों के भीतर, आबंटित शेयरों को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कराया जाता है जहाँ बाद में उनमें ट्रेडिंग की जाती है।



#### कृपया ध्यान दें:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आप प्रतिभूतियाँ जैसे शेयर प्रमाणपत्र कागज़ीरूप में या डीमैट रूप में रखने के विकल्प का चयन कर सकते हैं। हालाँकि, 1 अप्रैल, 2019 से, प्रतिभूतियों का अंतरण (ट्रांसफर) केवल तभी हो सकता है जब वे डीमैट रूप में हों। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप डीमैट खाता खोलें और प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में ही रखें। यह नियम तब लागू नहीं होगा जब शेयर कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत या उत्तराधिकार के रूप में अंतरित (ट्रांसफर) किया जाना हो।

## प्राथमिक बाजार (प्राइमरी मार्केट) में निवेश करने की प्रक्रिया

आप सार्वजनिक प्रस्ताव (ऑफर) / निर्गम (इश्यू) के दौरान सीधे कंपनी से उसके शेयर खरीद सकते हैं जिसके लिए निर्गम की अवधि (जब सार्वजनिक निर्गम लोगों हेतु खुला हुआ हो) के दौरान आपको आवेदन फॉर्म दाखिल करना होगा और भुगतान करना होगा। आवेदन फॉर्म में आपको अपने ब्यौरे भरने होंगे, जैसे नाम, पता, शेयरों की संख्या जिनके लिए आवेदन करना चाहते हैं, बैंक खाता संबंधी ब्यौरे, डीमैट खाता जिसमें शेयर जमा किए जाएंगे, आदि।



जो निवेशक किसी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में निवेश करना चाहते हैं, वे निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट / अस्बा) या यूपीआई (विस्तृत जानकारी पुस्तिका में आगे दी गई है) के जरिए भी भुगतान करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, निवेशकों को आवेदन फॉर्म भरना होगा और उन्हें जितने शेयर चाहिए उतने शेयरों के आबंटन के लिए आवेदन करना होगा। निवेशक ने जितने शेयरों के लिए आवेदन किया है, उतने शेयरों की रकम उनके बैंक खाते में निरुद्ध (ब्लॉक) कर दी जाती है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के सूचीबद्ध होने की पूरी प्रक्रिया में निर्गम (इश्यू) के बंद होने के बाद छह (06) दिनों का समय लगता है। जिन निवेशकों को शेयर निर्गमित (इश्यू) किए जाते हैं उनके शेयर उनके डीमैट खाते में जमा कर दिए जाते हैं और उन शेयरों की कीमत उनके बैंक खाते से ले ली जाती है। यदि शेयर आबंटित नहीं होते, तो आवेदक के बैंक खाते में निरुद्ध (ब्लॉक) की गई रकम को रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि वह उसका इस्तेमाल कर सके।



### ध्यान दें:

- कंपनी के शेयरों में निवेश करने से पहले उसके प्रॉस्पेक्टस / प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस (रैड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस) / प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) को ध्यान से पढ़ें।
- सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) में शेयरों के लिए आवेदन करते समय आप शेयरों की कीमत और शेयरों की संख्या का पूरा ध्यान रखें।
- जिस कीमत पर आपने शेयरों के लिए आवेदन किया हुआ है वह कीमत आप याद रखें।
- बाजार भावनाओं के आधार पर निवेश न करें, बल्कि कंपनी और उसकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें और समझदारी से निवेश करें।

# 14

## निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट / अस्बा)

अब निवेशक प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के लिए निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (अस्बा) के जरिए आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) में निवेश कर सकते हैं। अस्बा में, निवेशक ने जितने शेयरों के लिए आवेदन किया है उतने शेयरों की कीमत के बराबर की रकम को निरुद्ध (ब्लॉक) कर दिया जाता है, किंतु आबंटन (अलॉटमेंट) होने तक यह रकम निवेशक के खाते में ही रहती है। शेयरों का आबंटन, आदि हो जाने पर, निवेशक के खाते से शेयरों की कीमत के बराबर की रकम निकाल ली जाती है। निरुद्ध (ब्लॉक) की गई रकम पर ब्याज मिलता रहता है और आबंटन न होने की स्थिति में पैसा लौटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में आवेदन करने के लिए वास्तव में चैक भेजने के बदले, अब आप निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (अस्बा) के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। अस्बा की यह सुविधा कुछ संग्रहणकर्ता बैंकों (क्लैक्टिंग बैंक) की शाखाओं द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे बैंकों की सूची भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट पर दी गई है। निवेशक आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) में अब यूनैफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए निवेश करने की प्रक्रिया संलग्नक-IV में बताई गई है।



# 15

## द्वितीयक बाजार (सेकेंडरी मार्केट) के जरिए निवेश

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक दलाल के यहाँ ट्रेडिंग / ब्रोकिंग अकाउण्ट खुलवाने के बाद, आप स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक दलाल के जरिए कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। आप अपने दलाल (ब्रोकर) के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते का इस्तेमाल करके ब्रोकर के वेबसाइट पर जाकर, ब्रोकर के मोबाइल ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करके, फोन पर कॉल एवं ट्रेड की सुविधा का इस्तेमाल करके, दलाल के कार्यालय जाकर या स्टॉक दलालों के प्राधिकृत व्यक्तियों (अथॉराइज़्ड पर्सन्स) के जरिए प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए ऑर्डर डाल सकते हैं।



## ऑर्डर डालने के तरीके:



### कृपया ध्यान दें:

- शेयरों की खरीद या बिक्री केवल भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) या प्राधिकृत व्यक्ति (अर्थोराइज़्ड पर्सन) के जरिए किया जाना चाहिए ।
- द्वितीयक बाजार (सेकंडरी मार्केट) में सौदा डालते (ट्रेडिंग करते) समय, आपने दलाल (ब्रोकर) को जो भी ऑर्डर डालने के लिए कहा है उसका रिकॉर्ड रखें ।

# 16


## व्यापार के दिन (ट्रेडिंग डेज़) और व्यापार एवं निपटान चक्र (ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट साइकल)

स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार (ट्रेडिंग) पूरे सप्ताह होता है (शनिवार, रविवार और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा घोषित अवकाश के दिनों को छोड़कर)


शेयरों की खरीद के मामले में, आपको संबद्ध निपटान (सेटलमेंट) के पे-इन डे से पहले अपने स्टॉक दलाल के बैंक खाते में भुगतान करना होगा (हो सके तो दलाल से इस बात की पुष्टि मिलने के तुरंत बाद कि खरीद हेतु आपका ऑर्डर सफलतापूर्वक डाला जा चुका है) । इसी तरह, शेयरों की बिक्री के मामले में, आपको संबद्ध निपटान के पे-इन डे से पहले अपने स्टॉक दलाल के डीमैट खाते में शेयरों की सुपुर्दगी (डिलीवरी) करनी होगी ।



पे-इन डे और पे-आउट डे क्या होता है? पे-इन डे वह दिन होता है जब दलाल (ब्रोकर) एक्सचेंज के समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) को पैसों का भुगतान या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सुपुर्दगी (डिलीवरी) करता है । पे-आउट डे वह दिन होता है जब समाशोधन निगम दलाल (ब्रोकर) को पैसों का भुगतान या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सुपुर्दगी (डिलीवरी) करता है । 1 अप्रैल, 2003 से निपटान चक्र टी+2 आवर्ती (रोलिंग) निपटान आधार पर है [जहाँ टी का अर्थ व्यापार का दिन (ट्रेड डे) है] । उदाहरण के लिए, सोमवार को किए गए व्यापार (ट्रेड) का निपटान आमतौर पर अगले बुधवार [व्यापार के दिन (ट्रेड डे) के बाद 2 कार्य-दिवस मानकर चलने पर] को किया जाता है । स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करते हैं कि पैसों और प्रतिभूतियों के पे-इन और पे-आउट टी+2 दिन पर किए जाएं ।



**पे-इन:** पैसों / प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के पे-इन का अर्थ पैसों / प्रतिभूतियों का दलाल (ब्रोकर) के खाते से एक्सचेंज के खाते में अंतरण (ट्रांसफर) होना है ।



**पे-आउट:** पैसों / प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के पे-आउट का अर्थ प्रतिभूतियों में सौदा (ट्रेड) होने के बाद, पैसों / प्रतिभूतियों का दलाल (ब्रोकर) के खाते से ग्राहक (क्लाइंट) के खाते में अंतरण (ट्रांसफर) होना है ।



#### कृपया ध्यान दें:

- हमेशा यह सुनिश्चित करें कि व्यापार (ट्रेड) के निपटान चक्र पे-इन तारीख से पहले क्रमशः आपके बैंक / डीमैट खाते में पर्याप्त पैसे / प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) हों ।
- निपटान के लिए पर्याप्त पैसे / प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) न होने पर निवेशक पर शास्ति (पेनल्टी) लगाई जा सकती है और उसे आगे नुकसान हो सकता है ।

17

### संविदा नोट (कॉन्ट्रैक्ट नोट)

संविदा नोट (कॉन्ट्रैक्ट नोट) स्टॉक दलाल (ब्रोकर) द्वारा किए गए व्यापार का सबूत होता है । यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें लेनदेन के ब्यौरे होते हैं जैसे खरीदी गई / बेची गई प्रतिभूतियों के ब्यौरे, जिस कीमत पर व्यापार (ट्रेड) किया गया उसका ब्यौरा, ट्रेडिंग का समय, दलाली (ब्रोकरेज) आदि । संविदा नोट कागजी या इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही रूपों में जारी किया जा सकता है । यदि आप इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अपने ई-मेल के ब्यौरे के साथ-साथ स्टॉक दलाल (ब्रोकर) को एक विशेष प्राधिकार भी देना होगा । ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संविदा नोट पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे, ये एन्क्रिप्टिड होंगे और इनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी । ऐसे संविदा नोट की जरूरत भविष्य में पड़ सकती है इसलिए निवेशक को इन्हें संभाल कर रखना चाहिए । भविष्य में यदि कोई विवाद खड़ा होता है, तो उस समय इनका बहुत





अधिक महत्त्व होता है ।



#### कृपया ध्यान दें:

- सौदा (ट्रेड) डाले जाने के 24 घण्टों के भीतर स्टॉक दलाल द्वारा संविदा नोट जारी किया जाएगा । संविदा नोट में किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में, निवेशक को तुरंत इसकी जानकारी स्टॉक दलाल को देनी चाहिए ।
- बाजार में ऑर्डर डालते समय, आपके पास जो रिकॉर्ड है उसका संविदा नोट में दिए गए ब्यौरे से मिलान कर लें । यदि दोनों में कोई फर्क दिखता है, तो तुरंत अपने दलाल (ब्रोकर) से संपर्क करें ।

#### ग्राहक (क्लाइंट) के ऑर्डर का रिकॉर्ड:

स्टॉक दलालों के लिए यह जरूरी है कि वे ग्राहकों (क्लाइंट्स) के सौदे (ट्रेड) डालने से पहले इस बात का सबूत अपने पास अवश्य रख लें कि ग्राहक ने ही ऐसा सौदा डालने के लिए कहा है । ये सबूत इनमें से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं : क. कोई कागज़ी रिकॉर्ड जिस पर ग्राहक का हस्ताक्षर हो, ख. टेलीफोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड, ग. प्राधिकृत ई-मेल आईडी से भेजा गया ई-मेल, घ. इंटरनेट के माध्यम से डाले गए सौदे का लॉग, ङ. मोबाइल फोन से भेजा गया मैसेज का रिकॉर्ड, च. ऐसा कोई दूसरा रिकॉर्ड जिसकी कानूनन पुष्टि हो सकती हो ।



18

#### निवेशकों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अलर्ट

निवेशक एसएमएस और ई-मेल अलर्ट जैसी सुविधा का चयन कर सकते हैं जिसके जरिए उन्हें उनके ट्रेडिंग और डीमैट खाते में किसी भी सौदे डाले जाने (ट्रेडिंग) / लेनदेन संबंधी गतिविधि के बारे में निःशुल्क एसएमएस और ई-मेल अलर्ट प्राप्त होंगे । इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उनके स्टॉक दलालों और निक्षेपागार सहभागियों के पास हो और उसमें जब भी कोई बदलाव आदि हो तो उसकी जानकारी स्टॉक दलालों और निक्षेपागारों को रहे ।



# 19

## रनिंग अकाउंट के लिए प्राधिकृत करना

आम तौर पर, दलाल द्वारा लेनदेन (खरीद / बिक्री) का निपटान (सेटलमेंट) पैसों / प्रतिभूतियों के पे-आउट के 24 घण्टों के भीतर करना होता है। हालाँकि, यदि आप स्टॉक एक्सचेंज में नियमित रूप से शेयरों में सौदे डालते (ट्रेड करते) हैं, तो आप स्टॉक दलाल को विशेष रूप से रनिंग अकाउंट के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, जिसके जरिए आपके शेयर या पैसे, यथास्थिति, स्टॉक दलाल के यहाँ एक अलग खाते में रख दिए जाएंगे।

रनिंग अकाउंट के जरिए प्रतिभूतियों में लेनदेन (ट्रांजैक्शन) करना आसान हो जाता है, और स्टॉक दलाल के यहाँ खोले गए रनिंग अकाउंट में रखे गए शेयरों या पैसों का इस्तेमाल आगे चलकर होने वाले लेनदेनों के निपटान के लिए किया जा सकता है।



रनिंग अकाउंट के लिए प्राधिकृत करना स्वैच्छिक है तथा यह उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो अक्सर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करते हैं। रनिंग अकाउंट के लिए एक निश्चित समय के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ऐसा प्राधिकार किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। पैसों और प्रतिभूतियों का वास्तविक निपटान दलाल (ब्रोकर) द्वारा 30 दिनों / 90 दिनों [जैसा ग्राहक (क्लाइंट) ने चयन किया हो] में कम से कम एक बार किया जाता है।

# 20

## सौदे (ट्रेड) का सत्यापन

एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर उपलब्ध सौदे (ट्रेड) के सत्यापन संबंधी मॉड्यूल एक बहुत ही सरल टूल है, जिसकी सहायता से आपके खाते में हुए सौदों का सत्यापन किया जा सकता है। सौदों से संबंधित आँकड़े टी+1 दिन में उपलब्ध होते हैं।



## 'मार्जिन मनी' क्या है?

मार्जिन मनी एक्सचेंजों / समाशोधन निगमों (क्लीयरिंग कारपोरेशन्स) द्वारा निर्धारित किया जाता है और दलालों (ब्रोकर्स) द्वारा निवेशकों की ओर से सौदे (ट्रेड) डालने से पहले निवेशकों से मार्जिन मनी एकत्र की जाती है। मार्जिन मनी इसलिए एकत्र की जाती है, ताकि निवेशकों की ओर से पैसा न दिए जाने या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सुपुर्दगी (डिलीवरी) न किए जाने का जोखिम कम हो सके। मार्जिन नगदी रूप में या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के रूप में या नगदी समतुल्य अर्थात् मियादी जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट), बैंक गारंटी, डीमैट रूप में रखी गई म्यूचुअल फंड की यूनिटों, सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और खजाना बिलों (ट्रेज़री बिल), आदि के रूप में भी दी जा सकती है।



1 सितम्बर, 2020 से निवेशक (ग्राहक) स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) द्वारा मार्जिन रखे जाने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ही "प्रतिभूतियों" (सिक्यूरिटीज़) के रूप में मार्जिन दे सकते हैं।

अर्ली पे-इन: यदि निवेशक मार्जिन का भुगतान करने से छूट चाहते हैं, तो ऐसे में निवेशक "अर्ली पे-इन" सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत पे-इन की तारीख से पहले या दलाल (ब्रोकर) द्वारा तय किए गए समय / तय की गई तारीख को दलाल को पैसों का भुगतान किया जाएगा / शेयर सुपुर्द (डिलीवर) किए जाएंगे।

## स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) और निक्षेपागार सहभागियों (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट्स) से मिलने वाला खाता विवरण

आप अपने स्टॉक दलालों और निक्षेपागार सहभागियों से आपके द्वारा किए गए लेनदेनों के संबंध में नियमित आधार पर निःशुल्क रिपोर्ट जैसे मासिक रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट, आदि ले सकते हैं। निक्षेपागार और स्टॉक एक्सचेंज आपके खातों में हुए लेनदेन की सूचना आपके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर देंगे। यदि आपको मैसेज समझने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो आप बैंक, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी), निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट), अपने स्टॉक एक्सचेंज, दलाल (ब्रोकर), से पूछ सकते हैं या मार्गदर्शन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टोल-फ्री हेल्पलाइन) पर संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप अपने संपर्क संबंधी किसी ब्यौरे में कोई बदलाव करते हैं, तो अपने मध्यवर्तियों को तुरंत नए ब्यौरे सूचित करें, ताकि आपको समय से अलर्ट और खाता विवरण मिलते रहें। यदि आपको ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, तो आपको इस मामले की जानकारी संबद्ध एंटीटियों को देनी चाहिए।



आप अपने स्टॉक दलाल से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक शेष पैसे और प्रतिभूति (सिक्यूरिटीज़) संबंधी विवरण प्राप्त करने के हकदार हैं।

# 23

## समेकित खाता विवरण (कन्सॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट / सीएएस)

समेकित खाता विवरण (सीएएस) एकल / संयुक्त खाता विवरण होता है जिसमें निवेशक द्वारा महीने के दौरान सभी पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) में किए गए लेनदेन (ट्रांज़ैक्शन) का ब्यौरा और डीमैट खाते (खातों) में रखी गई अन्य प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) का भी ब्यौरा होता है। अपना समेकित खाता विवरण (सीएएस) प्राप्त करने के लिए, आपको अपने स्टॉक दलाल (ब्रोकर) / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) के पास अपना पैन कार्ड नंबर (स्थायी खाता संख्या) अपडेट करना होगा।



# 24

## व्युत्पन्नी बाजार (डेरिवेटिव्स मार्केट)

व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) का अर्थ ऐसे वित्तीय लिखतों (फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट्स) से है जिनका मूल्य अंडरलाइंग प्रतिभूति (सिक्क्यूरिटी) या वित्तीय लिखत के आधार पर तय होता है। अंडरलाइंग प्रोडक्ट्स इक्विटी, कमोडिटी, मुद्रा (करंसी), आदि हो सकते हैं।

व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपनी पोजीशन को हैज करने और कीमत में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। हैजिंग मूल रूप से जोखिम कम करने का एक जरिया है जिसके माध्यम से निवेशक कीमत में होने वाले किसी प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के जोखिम से बचने के लिए लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) में निवेश करते हैं।



व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) में सौदेबाजी डालने वाले हैज़र हो सकते हैं, सट्टेबाज (स्पेक्यूलेटर) हो सकते हैं और आर्बिट्रेज़र हो सकते हैं तथा अलग-अलग परिस्थितियों में ये अलग-अलग भूमिका निभा सकते हैं।

फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स, या जिसे सामान्यतया फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स खंड (एफएण्डओ सेगमेंट) कहते हैं, प्रतिभूति बाजार के व्युत्पन्नी खंड के आवश्यक अंग हैं। फ्यूचर्स एवं ऑप्शन्स दो अलग-अलग प्रकार की व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) हैं।

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके जरिए भविष्य की किसी तारीख में पहले से ही तय कीमत पर अंडरलाइंग उत्पाद (प्रोडक्ट) की खरीद या बिक्री की जाती है।

ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ उस वित्तीय लिखत (फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट) से है जिसके तहत ऑप्शन खरीदने वाले को भविष्य की किसी तय तारीख को किसी तय कीमत पर ऑप्शन का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाता है, किंतु कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाला ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होता। कॉल ऑप्शन खरीदने वाले के पास अंडरलाइंग सिक्क्यूरिटी को खरीदने का अधिकार होता है तथा पुट ऑप्शन खरीदने वाले के पास अंडरलाइंग सिक्क्यूरिटी को बेचने का अधिकार होता है। ऑप्शन्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने वाले निवेशकों को प्रीमियम अदा करना पड़ता है।

कृपया ध्यान दें कि व्युत्पन्नी उत्पादों (डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स) में बहुत जोखिम होता है और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से हैजिंग के लिए किया जाता है । यह उत्पाद छोटे निवेशकों के लिए सही नहीं है ।

## म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स

# 25

### पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड्स)

पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) कई निवेशकों से पैसे इकट्ठा करती है और उस पैसे को स्टॉक, बॉण्ड, अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों (शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स), अन्य प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या आस्तियों (असेट्स) में निवेश करती है अथवा इनमें से कुछेक में मिलाजुलाकर निवेश करती है । सभी पारस्परिक निधियों के लिए यह जरूरी है कि वे कोई भी स्कीम शुरू करने से पहले सेबी से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करें ।

पारस्परिक निधियों को उनकी स्कीम के उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है । विभिन्न प्रकार के निवेशकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्कीम बनाई जाती हैं, जैसे जोखिम न उठाने वाले निवेशक (ऐसे रूढ़िवादी निवेशक जो अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते), उदारवादी निवेशक (थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार निवेशक) और अति महत्वाकांक्षी निवेशक (जो ज्यादा मुनाफा पाने के लिए ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हों) ।



**पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड) का वर्गीकरण:** पारस्परिक निधियों की स्कीमों को मुख्य रूप से पाँच वर्गों में बाँटा गया है, जो इस प्रकार है:

क

**इक्विटी स्कीम:** वे पारस्परिक निधियाँ जो मुख्य रूप से स्टॉक / इक्विटी में निवेश करती हैं ।

ख

**डैट स्कीम :** वे पारस्परिक निधियाँ जो मुख्य रूप से नियत आय वाली प्रतिभूतियों जैसे बॉण्ड और खजाना (ट्रेजरी) बिलों में निवेश करती हैं ।

ग

**हाइब्रिड स्कीम:** वे पारस्परिक निधियाँ जो दो या दो से अधिक आस्ति (असेट) वर्गों जैसे इक्विटी वर्ग, निश्चित आय वर्ग, नकद आस्ति वर्ग आदि में निवेश करती हैं ।

घ

**सॉल्यूशन ऑरिंटेड स्कीम :** वे पारस्परिक निधियाँ जो व्यक्ति के लक्ष्यों के अनुसार निवेश करती हैं जैसे सेवानिवृत्ति और बच्चों की शिक्षा संबंधी योजना, आदि ।

ड

**अन्य स्कीम:** अन्य सभी स्कीमों जैसे सूचकांक निधियाँ (इंडेक्स फंड), एक्सचेंज व्यापारित निधियाँ (ईटीएफ), आदि ।

### पारस्परिक निधियों में कैसे निवेश करें ?

पारस्परिक निधियाँ (म्यूचुअल फंड्स) आमतौर पर समाचारपत्रों में विज्ञापन देती हैं जिसमें नई स्कीम के शुरू होने की तारीख प्रकाशित की जाती है। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए और आवेदन फॉर्म के लिए निवेशक पारस्परिक निधियों के एजेंटों और वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) से भी संपर्क कर सकते हैं। ये एजेंट और वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) देश भर में मौजूद हैं।

पारस्परिक निधियों में निवेश करते समय निवेशकों को पहले अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निवेशक पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की शाखा में जाकर या रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर अपना केवाईसी करा सकता है। इसके अलावा, अपने आधार कार्ड और पैन नंबर का इस्तेमाल करके वह ई-केवाईसी भी कर सकता है।

एक बार केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर निवेशक को यह तय करना होगा कि वह किस स्कीम में निवेश करना चाहता है। यह निर्णय निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता और उसके वित्तीय लक्ष्यों पर आधारित होता है। निवेशक द्वारा पारस्परिक निधि की स्कीमों का चयन कर लेने के बाद, उसे उन संबंधित स्कीमों में निवेश करने के लिए जरूरी आवेदन फॉर्म भरने होंगे। ये फॉर्म एजेंटों और वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) के माध्यम से, जो इस तरह की सेवाएं देते हैं, पारस्परिक निधियों के यहाँ जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय, निवेशक आवेदन फॉर्म में अपना नाम, अपना पता, जितनी यूनितों के लिए आवेदन किया जा रहा है उतनी यूनितों की संख्या और ऐसी कोई अन्य जानकारी जो आवेदन फॉर्म में मांगी गई हो, साफ-साफ भरें। निवेशक को अपना बैंक खाता संख्या भी देना होगा, ताकि भविष्य में लाभांश (डिविडेंड) देने के लिए या यूनितें वापस खरीदने (रीपर्चेज़) के लिए पारस्परिक निधि द्वारा जारी किए गए किसी चैक / ड्राफ्ट को कोई दूसरा व्यक्ति धोखाधड़ी करके न भुना ले। पता, बैंक खाते के नंबर, आदि में बाद में कोई बदलाव होने पर उसकी सूचना पारस्परिक निधि को तुरंत दें।

निवेशकों के लिए निवेश की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए, पारस्परिक निधियाँ निम्नलिखित विकल्प देती हैं :


**सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स :** किसी स्कीम विशेष में नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करने की सुविधा प्रदान करता है।

**सिस्टमेटिक विद्यूआवल प्लान्स:** किसी स्कीम विशेष से नियमित रूप से एक निश्चित राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है।

**सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान्स:** नियमित रूप से एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसे के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

### पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) की प्रोडक्ट लेबलिंग

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, पारस्परिक निधि स्कीमों पर उनमें निहित जोखिम के स्तर के अनुसार लेबल लगाने होते हैं और "रिस्कोमीटर" में इसे दिखाया जाता है। भिन्न-भिन्न स्तर के जोखिम को प्रदर्शित करने वाले रिस्कोमीटर का नमूना नीचे दिया गया है। :



- क) कम : मूलधन (प्रिंसिपल) कम जोखिम पर
- ख) कम से मध्यम के बीच : मूलधन थोड़े कम जोखिम पर
- ग) मध्यम: मूलधन मध्यम जोखिम पर
- घ) थोड़ा अधिक: मूलधन थोड़े अधिक जोखिम पर
- ङ) अधिक: मूलधन अधिक जोखिम पर
- च) बहुत अधिक: मूलधन बहुत अधिक जोखिम पर

- रिस्कोमीटर का प्रत्येक महीने मूल्यांकन किया जाता है ।
- म्यूचुअल फंड / आस्ति प्रबंध कंपनियाँ (एएमसी) अपने संबंधित वेबसाइटों पर प्रत्येक महीने की समाप्ति से 10 दिनों के भीतर अपनी सभी स्कीमों से संबंधित रिस्कोमीटर दिखाएंगी और पोर्टफोलियो का भी प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करेंगी ।

यदि किसी स्कीम में पैसे लगाने के लिए एजेंट / वितरक निवेशकों को कोई कमीशन / उपहार दे रहे हैं, तो निवेशकों को उनके इस झांसे में नहीं आना चाहिए । बल्कि, उन्हें तो पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) के पिछले रिकॉर्ड (ट्रेक रिकॉर्ड) पर गौर करना चाहिए और सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए ।

# 28

## एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ)

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) एक ऐसी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) होती है, जो किसी सूचकांक (इंडेक्स), कमोडिटी, बॉण्ड या आस्ति (असेट) समूह जैसे इंडेक्स फंड को ट्रेक करती है और जिसकी ट्रेडिंग प्रतिभूति बाजार में होती है । सरल शब्दों में, ईटीएफ ऐसी निधियाँ (फंड्स) होती हैं जो सूचकांकों (इंडेक्स) जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, आदि को ट्रेक करती हैं । जब आप ईटीएफ के शेयर / यूनिट खरीदते हैं, तो वास्तव में आप एक ऐसे पोर्टफोलियो के शेयर / यूनिट खरीद रहे होते हैं जो किसी सूचकांक (इंडेक्स) के प्रदर्शन का अनुसरण (को ट्रेक) कर रहा होता है । एक्सचेंज व्यापारित निधियाँ (ईटीएफ) केवल उस सूचकांक के प्रदर्शन को दर्शाती हैं जिसे वे ट्रेक कर रही होती हैं ।



ईटीएफ पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) की तरह नहीं होती हैं । ईटीएफ की ट्रेडिंग तो एक आम स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज में होती है और बाजार में हो रही ट्रेडिंग के अनुसार ही एक्सचेंज व्यापारित निधियों (ईटीएफ) की कीमत में भी परिवर्तन होते रहते हैं । किसी ईटीएफ का व्यापारिक मूल्य (ट्रेडिंग वैल्यू) उसके अंडरलाइंग स्टॉक के शुद्ध आस्ति मूल्य (नेट असेट वैल्यू) पर निर्भर करता है । आमतौर पर, पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फंड्स) की स्कीमों की तुलना में ईटीएफ में दैनिक अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) अधिक होती है और फीस भी कम ली जाती है ।



## 29

### सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स)

सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स), माध्यस्थ व्यवस्था (आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म) और चूककर्ता (डिफॉल्टर) का दावा प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी शिकायत के बारे में, आप पहले संबंधित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या कंपनी से संपर्क करें। संबंधित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या कंपनी आपकी शिकायत का निवारण करेगी। यदि शिकायत का निवारण न हो, तो आप अपने स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) या सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के खिलाफ संबंधित स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार से संपर्क करें।

यदि शिकायत निवारण से आप फिर भी संतुष्ट न हों, तो आप वेब आधारित केन्द्रीकृत शिकायत निवारण व्यवस्था, जिसे स्कोर्स (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शिकायत निवारण प्रणाली) कहा जाता है, के माध्यम से अपनी शिकायत सेबी के पास दर्ज कर सकते हैं। स्कोर्स पोर्टल का पता <http://scores.gov.in> है। स्कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप सेबी की निःशुल्क दूरभाष सेवा (टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर) - 1800 22 7575, 1800 266 7575 पर संपर्क कर सकते हैं। स्कोर्स के माध्यम से आप अपनी शिकायत (शिकायतें) कभी भी और कहीं से भी ऑन-लाइन ही दर्ज कर सकते हैं, उनके बारे में आगे पूछताछ कर सकते हैं और ऑन-लाइन ही ऐसी शिकायतों के निवारण की स्थिति देख सकते हैं।



## 30

### स्टॉक एक्सचेंज का निवेशक सेवा कक्ष

निवेशक सेवा कक्ष निवेशकों के प्रश्नों का जवाब देता है, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करता है तथा विवादों के अर्ध-न्यायिक निपटान के लिए माध्यस्थ व्यवस्था (आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म) प्रदान करता है और इस प्रकार उनकी सहायता करता है।

स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों की शिकायतों के निवारण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में शिकायतों का निवारण इन्वेस्टर ग्रीवांस रेज़ोल्यूशन पैनल (आईजीआरपी) के जरिए तथा बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसई) में इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (आईजीआरसी) के जरिए किया जाता है।



निवेशकों की शिकायतों का निवारण आसानी से हो सके, इस उद्देश्य से इन एक्सचेंजों ने देशभर में अलग-अलग प्रदेशों में अपने निवेशक सेवा केन्द्र (इन्वेस्टर सर्विस सेंटर) खोले हैं। इन निवेशक सेवा केन्द्रों की विस्तृत सूची इन एक्सचेंजों के वेबसाइटों पर दी हुई है।

### माध्यस्थम् व्यवस्था (आर्बिट्रेशन मैकेनिज़्म)

माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) एक अर्ध-न्यायायिक प्रक्रिया है जिसके जरिए स्टॉक दलाल और निवेशक के बीच हुए विवादों का निपटारा किया जाता है। जब कभी दोनों में से किसी एक पक्षकार को ऐसा लगता है कि उसकी शिकायत का संतोषप्रद निवारण न तो दूसरे पक्षकार द्वारा किया गया है और न ही एक्सचेंज की शिकायत निवारण प्रक्रिया द्वारा ही हो पाया है, तो ऐसे में शिकायतकर्ता पक्षकार एक्सचेंज की माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) प्रक्रिया का चयन कर सकता है।

निवेशक सेवा केंद्रों की सूची, माध्यस्थम् की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में लगने वाली फीस तथा अन्य प्रभारों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के वेबसाइट देख सकते हैं।



### दावा न किए गए शेयरों / भुगतान न की गई लाभांश की रकम के बारे में जानकारी - निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य निवेशकों में जागरूकता का प्रसार करना और उनके हितों का संरक्षण करना है। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ अथॉरिटी) एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

लगातार 7 वर्षों तक अदा न किए गए सभी लाभांश (डिविडेंड) और दावा न किए गए सभी शेयर, संबंधित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिए जाते हैं। अदा न किए गए लाभांश और / या दावा न किए गए शेयरों को प्राप्त करने के लिए निवेशक या उसके प्रतिनिधियों को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ अथॉरिटी) के पास अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ता है।

अधिक जानकारी के लिए निवेशक

<http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html> देख सकते हैं।



संलग्नक - I  
[प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में निवेश करने / ट्रेडिंग करने हेतु क्या करें और क्या न करें]



## क्या करें

- ▶ प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने संबंधी अपनी जरूरतों के बारे में आप सेबी से रजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकार से संपर्क करें ।
- ▶ निवेश करने के अपने उद्देश्य और जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी स्कीम / उत्पाद (प्रोडक्ट) में निवेश करें ।
- ▶ लेनदेन होने के 24 घंटों के भीतर, सौदों हेतु विधिमाम्य संविदा नोट (कॉण्ट्रैक्ट नोट) / पुष्टि-ज्ञापन (कन्फर्मेशन मेमो) जरूर प्राप्त कर लें । अपने डीमैट खाते में अपने पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से नज़र रखें ।
- ▶ हस्ताक्षर करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें ।
- ▶ अपने खातों पर लागू सभी प्रभारों / फीस / दलाली (ब्रोकेज) के बारे में पूरी जानकारी रखें और उसका रिकॉर्ड रखें ।
- ▶ हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों, प्राप्त खाता विवरणों, संविदा नोट (कॉण्ट्रैक्ट नोट) और किए गए भुगतान का रिकॉर्ड रखें ।
- ▶ समय-समय पर अपनी वित्त संबंधी जरूरतों / लक्ष्यों की समीक्षा करें और अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, ताकि यह पता चलता रहे कि मौजूदा पोर्टफोलियो से वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करना / लक्ष्यों को पाना संभव है या नहीं ।
- ▶ अपने सौदों के लिए हमेशा बैंकिंग चैनल से ही भुगतान करें, अर्थात् नकद में लेनदेन न करें ।
- ▶ अपने से संबंधित जानकारी को हमेशा अद्यतन रखें । जब कभी आपके पते या बैंक संबंधी ब्यौरों या ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर में बदलाव हो, तो अपने स्टॉक दलाल / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) को सूचित करें । चूंकि अब सिम कार्ड विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास पोर्ट कराया जा सकता है, इसलिए निवेशक अपने संबंधित खातों के साथ एक ही मोबाइल नंबर जोड़ कर रख सकते हैं । (सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों में मोबाइल नंबर की अहम भूमिका होती है)
- ▶ अपने सभी निवेशों के लिए नामांकन करवाकर रखें । डीमैट खाते में एक से अधिक नामांकन करवाए जाने की अनुमति है ।
- ▶ अपने चल खाते (रनिंग अकाउंट) का निपटान समय-समय पर करते रहें (30 / 90 दिनों में एक बार, जैसा आप चुनें) ।
- ▶ अपने चल खाते (रनिंग अकाउंट) की नियमित रूप से जाँच करते रहें ।
- ▶ समय-समय पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट की जाँच और समीक्षा करें ।

- ▶ प्रतिदिन किए गए सौदों के संबंध में एक्सचेंज की ओर से मिलने वाले दैनिक एसएमएस और ई-मेल को हमेशा देखते रहें ।
- ▶ व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) के पास रखे गए निवेशकों के पैसों (निधियों) और प्रतिभूतियों के संबंध में एक्सचेंज की ओर से मिलने वाले मासिक एसएमएस और ई-मेल की नियमित रूप से जाँच करते रहें ।



## क्या न करें

- ▶ निवेश करने के लिए उधार न लें ।
- ▶ अरजिस्ट्रीकृत दलालों (ब्रोकर) / अन्य अरजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) के साथ लेनदेन न करें ।
- ▶ मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) को निर्धारित दलाली (ब्रोकेज) / प्रभारों से अधिक का भुगतान न करें ।
- ▶ किसी भी दस्तावेज की शर्तों आदि को पूरी तरह समझे बिना मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के साथ किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर आदि न करें ।
- ▶ किसी भी फॉर्म या सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची (डी.आई.एस.) को भरे बिना उस पर हस्ताक्षर न करें ।
- ▶ स्टॉक दलाल / निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) के पक्ष में साधारण मुख्तारनामा (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) न करें । यदि आप मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) करना चाहते हैं, तो विशेष मुख्तारनामा करते हुए पूरी तत्परता बरतें ।
- ▶ विवाद होने की दशा में, मुनासिब समय के भीतर, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) / स्टॉक एक्सचेंज / सेबी के पास लिखित शिकायत दर्ज करवाएँ ।
- ▶ डब्बा ट्रेडिंग गैर-कानूनी है । अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपको कम खर्च करना पड़ रहा है, तो भी इसमें शरीक न हों क्योंकि इसमें स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए सौदों की तरह सुरक्षा और गारंटी नहीं होती ।
- ▶ अपने निवेश संबंधी निर्णय लेते समय अफवाहों (टिप्स) पर भरोसा न करें, क्योंकि हो सकता है कि वह अफवाह ऐसे व्यक्ति ने फैलाई हो जो अपनी उन प्रतिभूतियों को बेचना चाहता हो, जिनकी खरीद - बिक्री न की जा सकती हो । अफवाहें फैलाना भी गैर-कानूनी गतिविधि है और इसकी सूचना सेबी को दी जानी चाहिए ।
- ▶ कभी भी अपने ऑन-लाइन खाते का पासवर्ड किसी को न बताएँ । पासवर्ड बार-बार बदलते रहें ।
- ▶ पोंजी स्कीमों, अरजिस्ट्रीकृत चिट फंडों, अरजिस्ट्रीकृत सामूहिक निवेश स्कीमों (कलैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम) या अरजिस्ट्रीकृत जमा स्कीमों (डिपॉजिट स्कीम) के झाँसे में न आएँ ।
- ▶ अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) दस्तावेजों में खाली स्थानों को काटना न भूलें ।
- ▶ यदि आप कम्प्यूटर नहीं जानते, तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का विकल्प न चुनें ।

संलग्नक - II  
(निवेशकों के अधिकार एवं दायित्व)



**निवेशकों के अधिकार**

- ▶ दलाल द्वारा आबंटित किया गया विशिष्ट ग्राहक कोड (यूनिक क्लाइंट कोड / यूसीसी) प्राप्त करना ।
- ▶ मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) से अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करना ।
- ▶ केवल अपने ही विशिष्ट ग्राहक कोड (यूनिक क्लाइंट कोड / यूसीसी) के माध्यम से ही व्यापार (ट्रेड) करना ।
- ▶ सदस्य (मेम्बर) के साथ तय किए गए मानदंडों के अनुसार ही ऑर्डर डालना ।
- ▶ सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करना ।
- ▶ किए गए सभी सौदों (ट्रेड) के लिए संविदा नोट (कॉन्ट्रैक्ट नोट) प्राप्त करना ।
- ▶ लगाए जा रहे प्रभारों आदि के ब्यौरे की माँग करना ।
- ▶ समय पर पैसे (निधियाँ) तथा प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना ।
- ▶ व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) की ओर से खाता-विवरण प्राप्त करना ।
- ▶ खातों के निपटान (सेटलमेंट) की माँग करना ।
- ▶ निर्धारित समय पर विवरण (स्टेटमेंट) प्राप्त करना ।

**निवेशकों के दायित्व**

- ▶ अपने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) संबंधी दस्तावेज प्रदान करना तथा अन्य समर्थक दस्तावेज देना ।
- ▶ उन स्वैच्छिक शर्तों आदि को समझ लेना जिनके संबंध में व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) के साथ सहमति व्यक्त की जानी हो ।

- ▶ व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेम्बर) को दिए गए अधिकारों को जान लेना ।
- ▶ जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज को पढ़ना ।
- ▶ उत्पाद (प्रोडक्ट) और कार्य-प्रणाली तथा समय-सीमाओं को जान लेना ।
- ▶ समय पर मार्जिन का भुगतान करना ।
- ▶ निपटान के लिए पैसों (निधियों) तथा प्रतिभूतियों का भुगतान समय पर करना ।
- ▶ सौदों (ट्रेड्स) के ब्यौरों की पुष्टि करना ।
- ▶ पैसों (निधियों) तथा प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए बैंक खाते और डीपी खाते की पुष्टि करना ।
- ▶ संविदा नोटों (कॉन्ट्रैक्ट नोट) और खाता-विवरण की समीक्षा करना ।

## 34

### संलग्नक - III अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों से सावधान रहें

#### अरजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों से सावधान रहें

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 [इनमें अंतिम संशोधन 3 जुलाई, 2020 को हुआ] के तहत निवेश सलाहकारों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करता है । "निवेश सलाहकार" का अर्थ है - वह व्यक्ति, जो प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के लिए, ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को निवेश सलाह देने के कामकाज में लगा हो, और जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो स्वयं को निवेश सलाहकार बताता हो, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए ।



इस विनियम का उद्देश्य "निवेश सलाह" को विनियमित करना है, जिसका अर्थ है - ग्राहक के फायदे के लिए प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या निवेश उत्पादों (प्रोडक्ट्स) में निवेश करने, को खरीदने, बेचने या में अन्यथा व्यौहार करने संबंधी सलाह, और निवेश पोर्टफोलियो जिसमें प्रतिभूतियाँ या निवेश उत्पाद शामिल हों, संबंधी सलाह, चाहे लिखित हो, मौखिक हो या संचार के किसी भी अन्य साधन के माध्यम से हो, और जिसमें वित्तीय योजना (फाइनेंशियल प्लानिंग) शामिल होगी । परंतु समाचारपत्र, पत्रिकाओं, किसी इलैक्ट्रॉनिक या प्रसारण या दूरसंचार माध्यम के जरिये, दी गई कोई निवेश सलाह, जो व्यापक रूप से जनता के लिए उपलब्ध हो, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निवेश सलाह नहीं मानी जाएगी । निवेश सलाहकारों के लिए यह जरूरी है कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करें और आचार संहिता का पालन करें ।

सेबी से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना ही निवेश सलाहकार के रूप में कार्य करना गैर-कानूनी है । कुछ बेईमान और समुचित जानकारी न रखने वाली एंटीटियाँ खुद को रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाती हैं और/या आचार संहिता का पालन नहीं करती हैं । निवेश सलाहकारों को सिर्फ सलाह देने का ही कार्य करना चाहिए और नकदी या प्रतिभूतियों के प्रबंधन जैसे कार्यों से दूर ही रहना चाहिए ।

निवेश सलाहकार (आईए) के रूप में कार्य करने वाली रजिस्ट्रीकृत और अरजिस्ट्रीकृत एंटीटियों द्वारा किए जाने वाले कुछ गलत काम (अनाचार), (जो सेबी को सूचित किए गए हैं) इस प्रकार हैं :-



निवेश सलाहकारों द्वारा ग्राहकों को निश्चित मुनाफों की पेशकश करना ।



आकर्षक मुनाफों का झूठा वादा करके ग्राहक से बहुत अधिक फीस वसूलना ।



अधिक फीस वसूल करने के लिए ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में न रखते हुए निवेश सलाहकारों द्वारा गलत-विक्रय (मिस-सेलिंग) करना । नुकसान हो जाने पर ग्राहक की ओर से फीस वापस करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर, निवेश सलाहकार द्वारा इस वादे के साथ ग्राहकों को अधिक जोखिम वाले उत्पादों की पेशकश करना कि वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएँगे ।



ग्राहकों की ओर से व्यापार (ट्रेडिंग) करना ।



ग्राहक की सहमति के बिना ही, अपने आप ही ग्राहक को अधिक जोखिमयुक्त उत्पादों वाली सेवा देना, जो ग्राहक की प्रोफाइल के साथ मेल न खाती हो ।



निवेश सलाहकार द्वारा खराब सेवा प्रदान करना जिसकी वजह से ग्राहकों के पैसों का नुकसान हो ।



धन-वापसी (रिफंड) किए जाने संबंधित मुद्दे ।

इसीलिए, निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि वे जागरूक बनें और बाजार में हो रहे उपर्युक्त गलत कामों से अपने आप को बचाकर रखें तथा पूँजी बाजारों में विशेषज्ञता का दावा करने वाली एंटीटियों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें । निवेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {विनिधान (निवेश) सलाहकार} विनियम, 2013 [इनमें अंतिम संशोधन 3 जुलाई, 2020 को हुआ] के तहत रजिस्ट्रीकृत एंटीटियों से ही निवेश के संबंध में सलाह लें । ऐसी एंटीटियों की सूची भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट (<https://www.sebi.gov.in>) पर उपलब्ध है ।

**निवेश सलाहकारों (इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स) के साथ व्यवहार करते समय क्या करें और क्या न करें**

क्या करें	क्या न करें
हमेशा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत निवेश सलाहकारों के साथ ही व्यवहार करें ।	अरजिस्ट्रीकृत एंटीटियों के साथ व्यवहार न करें ।
पहले यह देख लें कि निवेश सलाहकार के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की रजिस्ट्रीकरण (पंजीकरण) संख्या है या नहीं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से रजिस्ट्रीकृत सभी निवेश	निवेश सलाह की आड़ में किसी स्टॉक के बारे में दी गई टिप के झाँसे में न आएँ ।



सलाहकारों की सूची भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट ( <a href="https://www.sebi.gov.in">https://www.sebi.gov.in</a> ) पर दी हुई है ।	निवेश सलाहकार को अपना पैसा निवेश करने के लिए न दें ।
यह सुनिश्चित कर लें कि निवेश सलाहकार के पास जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो, वह वैध है ।	यदि निवेश सलाहकार निश्चित मुनाफों की बात करे, तो उसके झाँसे में न आएं ।
अपने निवेश सलाहकार को केवल सलाहकार फीस (एडवाइज़री फीस) अदा करें ।	निवेश के संबंध में सोच-समझकर लिए जाने वाले फैसलों पर लालच को हावी न होने दें ।
सलाहकार फीस केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही अदा करें और वे रसीदें संभाल कर रखें जिन पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों तथा जिन पर आपके द्वारा किए गए भुगतानों के विवरण दिए हुए हों ।	लुभावने विज्ञापनों या बाजार की अफवाहों के झाँसे में न आएं ।
निवेश की कोई सलाह मानने से पहले अपनी जोखिम प्रोफाइल (अर्थात् आप कितना जोखिम उठा सकते हैं) के बारे में अवश्य जान लें ।	केवल किसी निवेश सलाहकार या उसके प्रतिनिधियों की ओर से आए फोन कॉल या प्राप्त संदेशों (मैसेजों) के आधार पर लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने से बचें ।
इस बात पर जोर दें कि निवेश सलाहकार कोई भी सलाह केवल आपके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर ही दे और ऐसा करते समय निवेश के अन्य विकल्पों को भी ध्यान में रखे ।	केवल इस आधार पर निर्णय न लें कि निवेश सलाहकारों की ओर से बार-बार मैसेज प्राप्त हो रहे हैं और बार-बार कॉल आ रहे हैं ।
सलाह पर अमल करने से पहले अपने निवेश सलाहकार से सभी जरूरी प्रश्न पूछ लें और अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर लें ।	यदि निवेश सलाहकार आपको यह कहकर उकसायें कि जो ऑफर चल रहा है वह कुछ समय के लिए ही है या आपको अन्य प्रलोभन दें या फिर उपहारों की पेशकश आदि करें, तो ऐसे में आप उनके झाँसे में न आएं ।
निवेश करने से पहले, निवेश से जुड़े जोखिम और मुनाफे के साथ-साथ उसकी अर्थसुलभता (लिक्विडिटी) और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का भी आकलन कर लें ।	ऐसे निवेश करने में जल्दबाजी न करें जो आपकी जोखिम उठाने की क्षमता से और आपके निवेश के लक्ष्यों से मेल न खाते हों ।
इस बात पर जोर दें कि शर्तें आदि लिखित रूप में हों, उन पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर किए गए हों और मुहर लगी हुई हो । किसी भी निवेश सलाहकार के साथ व्यवहार करने से पहले इन शर्तों आदि को ध्यान से पढ़ लें, खासकर ऐसी शर्तों को जो सलाहकार फीस (एडवाइज़री फीस), सलाहकार योजनाओं (एडवाइज़री प्लान), सलाह की श्रेणी आदि से संबंधित हों ।	
अपने लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करते समय सतर्क रहें ।	
अपनी शंकाएँ दूर करने के लिए / शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करें । यदि कोई निवेश सलाहकार निश्चित मुनाफों का प्रस्ताव कर रहा हो या मुनाफों की गारंटी दे रहा हो, तो इसकी सूचना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को दें ।	

## संलग्नक - IV

अस्वा में यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की सुविधा निवेशक अब भुगतान व्यवस्था के रूप में यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का इस्तेमाल करते हुए आंशिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) में निवेश कर सकते हैं। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी सहभागी बैंक की) के माध्यम से कई बैंक खातों में लेनदेन कर सकते हैं, इसके माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है, एक ही व्यवस्था के जरिये बिना किसी अड़चन के पैसों का अंतरण एवं मर्चेन्ट को भुगतान किए जा सकते हैं।



यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए निवेश कैसे करें :

यूपीआई के माध्यम से आईपीओ में निवेश करने की प्रक्रिया में 3 प्रमुख चरण शामिल होते हैं, जो इस प्रकार हैं:

क

**यूपीआई के माध्यम से बोली लगाना:**

निवेशकों को अपने आवेदन फॉर्म में बोली संबंधी ब्यौरों के साथ-साथ यूपीआई आईडी भरनी चाहिए। यह आवेदन मध्यवर्ती के पास जमा करवाए जा सकते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के बिडिंग प्लेटफॉर्म पर बोली संबंधी ब्यौरों के साथ-साथ यूपीआई आईडी अपलोड करेगा। स्टॉक एक्सचेंज निर्गमकर्ता कंपनी (इश्युअर कंपनी) द्वारा नियुक्त किए गए एस्करो / प्रायोजक बैंक के साथ बोली संबंधी ब्यौरे और निवेशक की यूपीआई आईडी इलेक्ट्रॉनिक रूप में साझा करेगा।

ख

**निधियों को निरुद्ध करना (ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स):**

एस्करो / प्रायोजक बैंक निवेशक से यह निवेदन करेगा कि वह आवेदन की रकम के बराबर की रकम को निरुद्ध करने के लिए और बाद में आबंटन की दशा में रकम को डेबिट करने के लिए उसे प्राधिकृत करे। निवेशक द्वारा रकम निरुद्ध किए जाने के निवेदन की पुष्टि किए जाने पर, निवेशकों के खाते में वह रकम निरुद्ध (ब्लॉक) कर दी जाएगी और उसकी सूचना निवेशकों को दे दी जाएगी।

ग

**आबंटन प्रक्रिया के बाद शेयरों के लिए भुगतान:**

शेयर आबंटित हो जाने के बाद, निवेशकों के खाते से रकम डेबिट करने की प्रक्रिया चलाई जाएगी और अतिरिक्त रकम निरुद्ध नहीं रह जाएगी। यह प्रक्रिया निधियों को निरुद्ध करते समय निवेशक द्वारा यूपीआई पिन का प्रयोग करके दी गई पुष्टि के आधार पर की जाएगी।

**आईपीओ में निवेश करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते समय ध्यान देने योग्य बातें:**

- अपनी यूपीआई आईडी ऐसे बैंक के साथ बनाएँ, जिसका नाम सेबी के वेबसाइट पर उपलब्ध 'स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों की सूची' में दिया गया हो, जो निर्गमकर्ता के बैंक के रूप में कार्य करने के पात्र हैं ।
- केवल उन्हीं मोबाइल एप्लिकेशन और यूपीआई हैंडल का ही इस्तेमाल करें, जो सेबी के वेबसाइट पर उपलब्ध 'सार्वजनिक निर्गमों में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए मोबाइल एप्लिकेशन की सूची' में दिए गए हैं ।
- अपने आवेदन फॉर्मों में भुगतान व्यवस्था के रूप में यूपीआई का उल्लेख करते हुए उसे सिंडिकेट सदस्य, या रजिस्ट्रीकृत स्टॉक दलाल, या रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता या निक्षेपागार सहभागी के पास ही प्रस्तुत करें ।
- यूपीआई के जरिये आईपीओ में आवेदन करने की सीमा रु.2 लाख प्रति लेनदेन है और केवल छोटे व्यक्तिगत निवेशक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ।
- यदि निवेशक किसी और की यूपीआई आईडी या किसी और के बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें आबंटन नहीं किया जाएगा ।

# 36

## संलग्नक - V (शब्दावली)

क्र.सं.	संक्षेपाक्षर	पूर्ण रूप
1.	एएमसी	वार्षिक रखरखाव प्रभार
2.	एएसबीए	निरुद्ध रकम से समर्थित आवेदन (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकड अमाउंट / अस्वा)
3.	बीएसडीए	मूल सेवायुक्त डीमैट खाता
4.	सीएएस	समेकित खाता विवरण (कन्सॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट / सीएएस)
5.	सीडीएसएल	सेंट्रल सिक्यूरिटीज़ सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड
6.	डीमैट	गैर-कागज़ी
7.	डीपी	निक्षेपागार सहभागी (डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट / डीपी)
8.	आईए	निवेश सलाहकार
9.	आईजीआरसी	इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी
10.	आईजीआरपी	इन्वेस्टर ग्रीवांस रेज़ोल्यूशन पैनल
11.	आईपीओ	आंशिक सार्वजनिक निर्गम
12.	केआईएन	केवाईसी पहचान संख्या (केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर)
13.	केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
14.	एमआईआई	बाजार की बुनियादी संस्थाएँ
15.	एमएसई	मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
16.	एनएसडीएल	नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड
17.	एनएसई लि.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
18.	पैन	स्थायी खाता संख्या
19.	पीओए	मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी)
20.	स्कोर्स	सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली
21.	सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
22.	एसएमएस	शॉर्ट मैसेज सर्विस
23.	यूसीसी	विशिष्ट ग्राहक कोड (यूनिक क्लाइंट कोड / यूसीसी)
24.	यूआईडी	यूनिक आइडेंटिफिकेशन

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निवेशक जागरूकता की दिशा में उठाए गए कदम

- ▶ **जानकार व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम:**  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सूची में शामिल किए गए जानकार व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) द्वारा टियर II / टियर III शहरों / कस्बों में विभिन्न वर्ग के लोगों (जैसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों, गृहिणियों, स्वयं-सहायता समूहों, नौकरी-पेशा लोगों, आदि) के लिए उनकी स्थानीय भाषाओं में वित्तीय शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।
- ▶ **“सेबी में आगमन” (विज़िट टू सेबी) कार्यक्रम**  
महाविद्यालयों (कॉलेज), विद्यालयों और किसी पेशे विशेष से जुड़े संस्थानों के छात्रों के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । ये छात्र इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के कार्यालयों में आते हैं ।
- ▶ **प्रादेशिक संगोष्ठियाँ:**  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज), एएमएफआई, कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजों आदि के साथ मिलकर निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।
- ▶ **निवेशक संघों के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले निवेशक जागरूकता कार्यक्रम:**  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मान्यताप्राप्त निवेशक संघों द्वारा टियर II / टियर III शहरों / कस्बों में प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।
- ▶ **कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) प्रशिक्षकों के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले निवेशक जागरूकता कार्यक्रम:**  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मान्यताप्राप्त कमोडिटी व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) प्रशिक्षकों द्वारा टियर II / टियर III शहरों / कस्बों में कमोडिटी व्युत्पन्नियों (कमोडिटी डेरिवेटिव) से संबंधित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।
- ▶ **प्रतिभूति बाजार के प्रशिक्षकों (स्मार्ट्स) के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले निवेशक जागरूकता कार्यक्रम:**  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से मान्यताप्राप्त प्रतिभूति बाजार के प्रशिक्षकों (स्मार्ट्स) द्वारा टियर II / टियर III शहरों / कस्बों में प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

इन निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के ब्यौरे सेबी के निवेशक वेबसाइट (<https://investor.sebi.gov.in>) पर दिए हुए हैं ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और अन्य जानकारी  
निम्नलिखित वेबसाइटों पर दी हुई है :

वेबसाइट : [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)  
निवेशक वेबसाइट : <http://investor.sebi.gov.in>  
वेबसाइट : [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
वेबसाइट : [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)  
वेबसाइट : [www.nsdl.co.in](http://www.nsdl.co.in)  
वेबसाइट : [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)  
वेबसाइट : [www.msei.com](http://www.msei.com)

### भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

प्लॉट सं. सी4 -ए, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051  
दूरभाष: +91 -22 -26449000 / 40459000 | वेबसाइट : [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)  
निवेशक वेबसाइट : <http://investor.sebi.gov.in>  
आई.वी.आर.एस. प्रणाली : दूरभाष सं. : +91 -22 -26449950 / 40459950  
निःशुल्क निवेशक सहायता सेवा : 1800 22 7575 और 1800 266 7575  
निवेशक शिकायत लिंक : <https://scores.gov.in>

### बीएसई लि.

25 वीं मंज़िल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001  
दूरभाष सं.: (022) 22721233/34  
वेबसाइट : [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)  
ई-मेल : [is@bseindia.com](mailto:is@bseindia.com)

### नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)

एक्सचेंज प्लाजा, सी-1 , जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051  
दूरभाष सं. : (022) 26598100 - 8114  
फैक्स सं. : (022) 26598120

### नेशनल सिन्क्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी एवं पाँचवीं मंज़िल, कमला मिल्स कंपाउंड,  
लोअर परेल, मुंबई - 400 013  
दूरभाष सं. : (022 ) 24994200 | फैक्स : (022 ) 2497 6351  
निवेशक सहायता सं. 1800 1020 990 / 1800 224 430  
वेबसाइट : [www.nsdl.co.in](http://www.nsdl.co.in)

### सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

मैराथन फ्यूचरेक्स, ए विंग, पच्चीसवीं मंज़िल, मफतलाल मिल्स कंपाउंड,  
एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400 013  
निःशुल्क सहायता सेवा : 1800 -200 -5533  
वेबसाइट : [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)

### मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एमएसईआई)

205 ए , दूसरी मंज़िल, परिमल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, सुंदर बंग लेन,  
कमानी जंक्शन, एल.बी.एस. रोड, कुर्ला-पश्चिम, मुंबई -400 070  
कार्यालय : +91 2261129000